फोन : (07632) 240150 / 240250 (का.)
240660 (नि.)
240250 (फै.)
E-mail: dmbalaghat@mp.nic.in
Website: www.balaghat.nic.in

कार्यालय कलेक्टर जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

–विज्ञापन–

क्रमांक / 179 / वि.लि.1 / स्था. / 2018 बालाघाट, दिनांक 11 .01.2018

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ 8–2 / 2013 / आ. प्र. / एक, भोपाल, दिनांक 31.07.2017 एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 6–1 / 2002 / आप्र / एक, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के अनुपालन में **विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर बालाघाट में निःशक्तजनों के लिये आरक्षित सहायक ग्रेड–3 एवं भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति ''वॉक–इन–इंटरव्यू'' के माध्यम से की जाना है।** रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	पदनाम	पद की श्रेणी	म.प्र. पुनरीक्षण नियम–2017 अंतर्गत वेतनमान	निःशक्तजनों के लिये आरक्षित रिक्तियों व प्रवर्ग एवं श्रेणीवार विवरण				वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित **तिथि** व समय
				प्रवर्ग	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
01	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	लेवल–4 रू. 19500–62000	अनारक्षित	01	01	02	(1) तिथि 01/02/2018 (2) पूर्वान्ह 11.00 बजे से 01.00 बजे तक आवेदन पत्रों की जांच व समीक्षा (3)''वॉक–इन–इंटरव्यू'' अपरान्ह 2.30 बजे से
02	भृत्य	चतुर्थ	लेवल–1 रू. 15500–49000	अनारक्षित	01	01	02	

निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें

1. **सहायक ग्रेड–3** के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता – 12 वी. (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार शासन निर्देशों के तहत कम्प्युटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) में इंग्लिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए।

एवं

1– निम्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्युटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैः––

(1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
(2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
(3) डी.आ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
(4) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
(5) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय ''कम्प्यटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट'' (COPA) प्रमाण पत्र ।

2– उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्युटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगीः–

(1) बी.ई. (सी.एस.ई. / आई.टी) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी, (आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी. एस.) एम.टेक / एम.ई. इत्यादि।
(2) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्युटर सांईस / कम्प्युटर एप्लीकेश्न एवं इंफारमेशन टेक्नालॉजी इत्यादि।

3– बी.एस.सी. / बी.कॉम. डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्युटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा।

2. **भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) पद हेतु निर्धारित अर्हताः– आठवी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शासन निर्देशों के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों में निःशक्तजनों को ''साईकिल चालन'' योग्यता में छूट रहेगी।**

(02)

आवेदन हेतु शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश

01. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना आवश्यक है। अपूर्ण एवं गलत भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।

02. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं की अंकसूची की पठनीय प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

03. आवेदन पत्र डाक से अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं किये जावेगें। संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र **''वॉक्–इन–इंटरव्यू'' के लिये निर्धारित तिथि 01-02-2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, बालाघाट में स्वतः उपस्थित होकर निर्धारित स्थान/काउंटर पर प्रस्तुत करेगें।** उक्त निर्धारित तिथि को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जांच व समीक्षा पूर्वान्ह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक की जावेगी। **जांच एवं समीक्षा के पश्चात् अपरान्ह 2.30 बजे से साक्षात्कार समिति द्वारा ''वॉक्–इन–इंटरव्यू'' लिया जावेगा।**

04. उक्त दिनांक को **दोपहर 01.00 बजे के पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के** आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगे तथा उन्हें ''वॉक्–इन–इंटरव्यू'' में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसके लिये वे स्वतः उत्तरदायी होंगे।

05. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

06. आवेदन पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

07. तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड'3) एवं चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) के सभी पदो के लिये अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होना चाहिए।

08. म.प्र. के मूल निवासियों के लिये दिनांक 01.01.2018 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिये। निःशक्तजन आवेदकों के लिये अधिकतम 20 वर्ष की छूट रहेगी, अर्थात् 25+20 = 45 वर्ष अधिकतम आयु होगी। मध्यप्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

09. अभ्यर्थी का चयन होने एवं नियुक्ति आदेश के बाद उनको कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनको पूर्व में जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जायेगा। जांच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पायी जाती है, तभी उनको कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मूक बधिर श्रेणी को निःशक्तजनों की शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व मेडिकल परीक्षण में बैरा टेस्ट (BERA TEST) कराना अनिवार्य किया गया है।

10. वॉक–इन–इंटरव्यू में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उम्र के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र हेतु आवश्यक शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश तथा आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप इस कार्यालय की वेबसाइट www.balaghat@nic.in से डॉउनलोड कर सकते है।

संलग्न– आवेदन पत्र प्रारूप।

कलेक्टर,
बालाघाट, म.प्र.

पृ.क्रमांक/179-ब/वि.लि.1/स्था./2018
बालाघाट, दिनांक 11.01.2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर (निःशक्तजनों के लिये संचालित) की ओर म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क. एफ 8–2/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 31.07.2017 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार उपरोक्तानुसार वॉक–इन–इंटरव्यू की जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला रोजगार अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क. एफ 8–2/2013/आ. प्र./एक, भोपाल, दिनांक 31.07.2017 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार यह आपका दायित्व है, कि जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत ऐसे निःशक्तजनों को पत्र भेजकर अवगत कराएं जो संबंधित पदों की योग्यता रखते है।
5. सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचित कर लेख है, कि उपरोक्तानुसार निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू की जानकारी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन का प्रकाशन इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीविजन एवं रेडियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों को इसकी जानकारी मिल सके। समाचार पत्र में प्रकाशित वॉक–इन–इंटरव्यू के विज्ञापन की प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. प्रबंधक, आकाशवाणी बालाघाट की ओर सूचनार्थ। कृपया निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू की जानकारी का निःशुल्क प्रसारण करना सुनिश्चित करें।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ कर लेख है, कि उक्त विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप कलेक्टर, बालाघाट की वेबसाईट www.balaghat@nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. जिला प्रबंधक, ई–गवर्नेस सोसायटी, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं एम.पी. आनलाईन/ई–डिस्ट्रीक्ट पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. संपादक, दैनिक भास्कर जबलपुर (कार्यालय बालाघाट)/दैनिक जबलपुर एक्सप्रेस, बालाघाट की ओर उपरोक्त विज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, तथा प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर, 11/1/18
बालाघाट, म.प्र.

<u>विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निःशक्तजन (श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन प्रारूप</u>

<u>वॉक–इन–इन्टरव्यू दिनांक 01.02.2018</u>

<u>(सहायक ग्रेड–3 एवं भृत्य के पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करें।)</u>

वर्तमान का नवीन रंगीन फोटो राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित हो

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट।

1.	आवेदित पद का नाम					
2.	आवेदक का नाम					
3.	पिता / पति का नाम					
4.	जन्मतिथि					
5.	दिनांक 01.01.2018 को आयु					
6.	जाति					
7.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक					
8.	विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत					
9.	मूल निवासी प्रमाण पत्र					
10.	चरित्र प्रमाण पत्र					
11.	शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत
		कक्षा 8 वीं				
		कक्षा 10 वीं				
		कक्षा 12 वीं				
		अन्य योग्यता				
		कम्प्युटर दक्षता (सी.पी.सी.टी.)				
12.	वर्तमान / स्थाई पता					

<u>शपथ पत्र–1</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि, श्री / श्रीमति .... .पिता / पति ....वर्ष–2001 के विवाह पश्चात् मेरे 02 बच्चे नहीं है। यदि उक्त कथन असत्य पाया जाता है, तो मेरी सेवायें नियमानुसार समाप्त की जावें।

<u>घोषण पत्र</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि, मेरे स्वज्ञान से उपरोक्त दर्शित बिन्दु कमांक–1 से 12 तक दी गई जानकारी सत्य है। यदि उक्त जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावे।

स्थान :–

दिनांक :–

संलग्न :–

....

आवेदक के हस्ताक्षर